



अपना घक पाने था झुनहवा अथक

‘गुलमोहर कॉम्प्लेक्स’, योजना क्रमांक 136, निरंजनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत **LIG (1 BHK)** फ्लैट पाने का। अब तक 109 परिवारों को मिला लाभ, अब आप भी बनें उन परिवारों का हिस्सा।

- ## फ्री होल्ड पर व्ययन ब्रिलिंयट कंवेंशन सेंटर के पास क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ 109 लाभांवित परिवारों का साथ

सुविधाएं

- प्राधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के अंतर्गत 6.5% तक व्याज में छूट
 - फ्लैट्स का आवंटन गाइड लाइन से लगभग 37% कम में, फ्री होल्ड पर लॉटरी पञ्चत द्वारा
 - तत मंजिल पर पर्याप्त दो पहियां वाहन पार्किंग
 - भूमिगत व उच्चस्तीय पानी की टंकी
 - नर्मदा लाइन से जलप्रदाय की व्यवस्था
 - प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चौकी
 - कम्युनिटी हॉट की सुविधा
 - परिसर कंपाउंड वॉट से मुरक्खित
 - अग्निशमन के पूर्ण प्रबंध
 - 6 लिफ्ट मय डी.जी.डैकअप के साथ
 - परिसर में दैनिक आवश्यकता की पर्ति हेतु दक्षाने

भवन की निर्धारित कीमत
₹13.76⁰⁰ लाख


*२ सात की संधारणा अवधि हेतु कर ₹3,8000 अविविक्त



Super Built up area : 61.57 sq.mt. | Built up area : 45.68 sq.mt.

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 136, निरंजनपुर में 221 आवासीय फ्लैट खरीदने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकरण भवन, अन्पूर्णा मार्ग, नरसिंह बाजार एवं स्कीम नं. 54 की शाखाओं तथा आय.सी.आय.सी.आय.बैंक इन्दौर की एयरपोर्ट रोड, स्कीम नं. 140 के सामने, रतलाम कोठी मेनरोड एवं मालव परिसर शाखाओं से (बैंक कार्यालयीन समय में) ₹590 (जी.एस.टी. सहित) जमा कर फार्म ले सकते हैं। डाउनलोड किए फॉर्म के साथ ₹590 (जी.एस.टी. सहित) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर आवेदन पत्र प्राधिकरण कार्यालय में तथा कार्यालयीन समय में दिया जाए।

आवेदन पत्र क्रय करने की तिथि	08.10.2018 से 31.10.2018 तक
आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	01.11.2018 से 09.11.2018 तक
लाटरी निकालने की तिथि	13.11.2018 प्रातः 11.30 बजे



लोकेशन मेप

विज्ञापि क्रमांक : 243

दिनांक : 05.10.2018

REBA No.: P-IND-17-352 Date 07.09.2017

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

आलोक पाण्डे (उपर्युक्ती)

સ્કોર : 88270 12382

राजेश शर्मा (संपदा अ

संपर्क संख्या : ९८८३६ २२२१

राजेश उपाध्याय (मार्केटिंग सेल)

राजसा उपाय्याय (नाक
मो : ९८९३६९९११३

अधिकारी प्राधिकरण की वेबसाइट www.idaindore.org और ida app भी देखें।

idb
इन्डोर विकास प्राधिकरण



इन्दौर विकास प्राधिकरण INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक - 243

दिनांक - 05-10-2018

DOWNLOAD FORM

योजना क्रमांक 136 निरंजनपुर

ਮੈਂ ਨਿਰ্মਿਤ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ‘‘ਗੁਲਮੌਹਰ ਕਾਮਪਲੇਕਸ’’

के 221 (1BHK Flats) एल.आय.जी. प्रकोष्ठे का नियत

दर से पूर्ण-स्वामित्व अधिकार

(Free-Hold) पर लॉटरी द्वारा व्यवस्था

हेतु आवेदन प्रपत्र

-:: स्थल का फोटो ::-



“जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य है”

ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛା

प्ररूप—ट

{ नियम४(२)(छह) देखिए }

आवेदन क्रमांक

श्रेणी

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़ :

- 1— विधिवत रूप से भरा गया आवेदन प्रपत्र
- 2— छायाचित्र (फोटोग्राफ)
- 3— शपथ—पत्र (Affidavit)
- 4— आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति
- 5— आरक्षण के संबंध में प्रमाण—पत्र, यदि लागू हो
- 6— आधार कार्ड की छायाप्रति

इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर

DOWNLOAD FORM

योजना क्रमांक 136 के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला भवन 'गुलमोहर काम्पलेक्स' में नियत दर से पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी प्रणाली द्वारा L.I.G., 1-BHK प्रकोष्ठ (Flat) के आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र

विज्ञापन क्रमांक — 243 दिनांक — 05/10/2018

आवेदन प्रपत्र क्रमांक

मूल्य (जी.एस.ठी सहित) रुपये 590/-

अहस्तान्तरणीय (Non Transferable)

प्रति,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

आवेदक का नाम

इंदौर विकास प्राधिकरण

इंदौर (म.प्र.)

आवेदक का
पासपोर्ट
आकार का
छाया चित्र
यहां चिपकाया

महोदय,

निवेदन है कि मैं विज्ञापन क्रमांक – 243 दिनांक – 05/10/2018 के आधार पर मुझे इस प्रपत्र के विन्दू क्र. 16 में मेरे द्वारा चयनित विकल्पों के आधार पर नियत दर से पूर्ण-स्वामित्व (*Free-Hold*) अधिकार पर प्रकोष्ठ (*Flat*) आवंटित करने का कष्ट करें। अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार भर कर प्रस्तुत की जा रही है:-

01. आवेदक का नाम :
02. पिता/पति का नाम :
03. आवेदक की आयु :
04. पूरा पता :
- दूरभाष/मोबाईल : (कार्यालय)(निवास)
ई-मेल
05. पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय : रूपये
06. यदि नियोजित हों, तो नियोजक का नाम :
(If Employed name of the employer)
07. सेवा की अवधि (Duration of service) :
08. यदि निजी व्यवसाय में हूँ, तो उसका ब्यौरा :
दूरभाष क्रमांक (निवास)(कार्यालय).....मोबाईल क्रमांक
09. निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार शपथ-पत्र (Affidavit) संलग्न है : हां/नहीं
10. डाऊनलोड करने की दशा में आवेदन-प्रपत्र के मूल्य रु.590/-का(बैंक) की
.....(शाखा) से इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर के पक्ष में बैंक
ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रं दिनांक– 2018.
11. मैं आश्वासन देता/दती हूँ कि यदि मेरा आवेदन प्रपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं प्रकोष्ठ/इकाई की बकाया अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निर्धारित समय पर जमा कर दूँगा/दूँगी।
12. मैं आश्वासन देता/दती हूँ कि मैं शासन तथा प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर, बनाये गये नियमों/विनियमों का पालन करूँगा/करूँगी।
13. मैंने प्राधिकरण के प्रकोष्ठ/इकाई के आवंटन से संबंधित निबन्धन, शर्तों तथा नियमों को समझ लिया है तथा ये मुझे स्वीकार हैं।

14. मैंने मौके पर निर्मित संपत्ति का निरिक्षण कर लिया है, पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही आवेदन कर रहा हूँ।
15. यदि आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत की गई कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को मेरे आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा जमा की गई पंजीयन राशि को समप्रवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. निम्नांकित विकल्प अनुसार लॉटरी के पाँचों राउँड में से किसी भी राउँड में अथवा अंतिम राउँड में खुलने वाला कोई भी प्रकोष्ठ मुझे मान्य होगा। अन्यथा लॉटरी के किसी भी राउँड में कोई भी प्रकोष्ठ न खुलने पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

विकल्प क्रमांक	प्रकोष्ठ क्रमांक
1	
2	
3	
4	
5	
6	उक्त पाँचों राउँड के बाद शेष कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक मुझे मान्य है।

- अनुलग्नक:**
- प्रतिभूति राशी (अर्नेस्ट मनी) हेतु रु. **1.40 लाख** का(बैंक) की(शाखा) से इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक क्रं दिनांक-06-2018.
 - निबंधन तथा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति
 - आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति
 - नोटरी प्रमाणीकृत शपथ—पत्र (Affidavit)
 - सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)
 - आधार कार्ड की छायाप्रति

(आवेदक के हस्ताक्षर)

इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर

नियत दर से पूर्ण-स्वामित्व (Free-Hold) अधिकार पर लॉटरी प्रणाली द्वारा सम्पत्तियों के व्ययन संबंधी निबन्धन तथा शर्तें

(Terms and Conditions for Free-Hold Disposal of Properties on Fixed Rate)

1. सामान्य शर्तें (General Terms)

- सम्पत्ति के आवंटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्रपत्र विहित प्ररूप-ट में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विज्ञापन में उल्लिखित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- विज्ञापन के अधीन प्रकोष्ठों के क्रमांक का आवंटन नियत दर से पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। इस हेतु आयोजित लॉटरी के पाँचों राउँड में से किसी भी राउँड में अथवा अंतिम राउँड में खुलने वाला कोई भी प्रकोष्ठ मुझे मान्य होगा। अन्यथा लॉटरी के किसी भी राउँड में कोई भी प्रकोष्ठ न खुलने पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके/उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत इससे पूर्व नियत दर पर कोई प्रकोष्ठ/इकाई की प्राप्ति नहीं की गई है।
- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा में उसे इस बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन लॉटरी की नियत तिथि से पूर्व (लॉटरी की तिथि को छोड़कर) अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि में से दस प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् आवेदक को शेष राशि लौटा दी जाएगी।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (यदि किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित प्रकोष्ठ के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो)। जहां आरक्षित श्रेणी के प्रकोष्ठ हेतु आवेदन को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होगे:

अ.क.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
------	------------------	---

1	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / उनकी मृत्यु की दशा में पति / पत्नी	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
5	सैनिक / भूपू सैनिक	सैनिक कल्याण बोर्ड
6	विकलांग	जिला मेडिकल बोर्ड / सिविल सर्जन / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
7	इं.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इं.वि.प्रा. से जारी वर्तमान में कार्यरत का प्रमाण पत्र
8	बुद्धीजीवी / श्रमजीवी / पत्रकारों एवं कलाकारों के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
9	महिला आरक्षण	

दो: भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. अ)– सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण–पत्र / मांग–पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कुल उद्घरित (quoted) अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रथम प्रारंभिक 25 प्रतिशत (आवेदन–प्रतिभूति {Earnest Money}) के समायोजन पश्चात शेष) राशि जमा करनी होगी।
 ब)– अधिमूल्य (प्रीमियम) की उक्त प्रथम प्रारंभिक 25 प्रतिशत राशि जमा उपरांत द्वितीय प्रारंभिक 25 प्रतिशत राशि आरक्षण पत्र जारी दिनांक से 4 माह की समयावधि में जमा कराई जानी होगी।
 स)– प्रकोष्ठ के उक्त मूल्य के अतिरिक्त आवंटिती को प्रथम आवंटन से 02 वर्षों के लिए संधारण राशि रु. 38,000/- (+जी.एस.टी.), आवंटन पत्र जारी होने के पूर्व पृथक से जमा करनी होगी।
2. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण / मांग–पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर रूपये 1000/- के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध–पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी।
3. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रारंभिक 50 प्रतिशत (प्रथम 25 + द्वितीय 25 प्रतिशत राशि) राशि तथा अनुबन्ध–पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।

4. जहां सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपरोक्त भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो इस संबंध में उक्त राशि जमा कराने बाबद समयवृद्धि हेतु लिखित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो विनियम की कंडिका 8 (3) अनुसार अधिकतम 90 दिवस की समयावधि देय अधिमूल्य राशि पर 15 प्रतिशत विलंब ब्याज की राशि के साथ जमा करना होगी ।
5. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर आवदन प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा आवेदन प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत कर सकेगा ।
6. आवंटिती (Allottee) / हस्तांतरिती (Transferee) द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि के अवशेष 50 प्रतिशत भाग का भुगतान 12/20 त्रैमासिक बराबर किस्तों में 3/5 वर्षों की समयावधि के भीतर (जो पांच वर्षों से अधिक न होगी) 10/10.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से किया जाएगा ।
7. जहां राशि का भुगतान किस्तों में किया जा रहा हो वहां विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निधारित) के अनुसार 6 से अधिक मासिक किस्तों अथवा 2 से अधिक त्रैमासिक किस्तों का भुगतान न करने की स्थिति में आवंटिती को किया गया आवंटन स्वेच्छा निरस्त माना जावेगा ।
8. उक्त निरस्त आवंटन को पुनर्जीवित किये जाने हेतु विनियम की कंडिका 9 अनुसार पुनर्जीवित किया जा सकेगा ।
9. पांच वर्षों की अवधि के बाद भुगतान बकाया कोई राशि लंबित होने पर चूककर्ता को आवंटन की तारीख से 5 वर्ष की समयावधि पर बकाया शेष राशि पर ब्याज प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा ।
10. तथापि, यदि समस्त किस्तों का भुगतान, आवंटन तिथि से 7 वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन रद्द कर दिया जावेगा इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण, ऐसे आवंटन रद्द किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 25 प्रतिशत राशि के बराबर राशि राजसात कर ली जावेगी । तथा शेष मूलधन विनियम की कंडिका 9 अनुसार लौटा दी जाएगी ।
11. पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free Hold) धारक आवंटिती अथवा हस्तांतरिती (Transferee), शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा । भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं ।

तीन.

प्रकोष्ठ को पूर्ण-स्वामित्व अधिकार पर प्रदान करन संबंधी निबंधन

(Terms for Free-Hold Property)

- सम्पत्ति का आधिपत्य “जैसा है, जहां है” के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो)।
- प्रीमियम (अधिमूल्य) की राशि के 50 प्रतिशत भुगतान के पश्चात् ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Office) द्वारा प्रकोष्ठ का वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी। परंतु आवंटी को पूर्ण-स्वामित्व अधिकार विलेख का निष्पादन पूर्ण अधिमूल्य की राशि की प्राप्ति के बाद ही किया जावेगा।
- अधिमूल्य (प्रीमियम) की सम्पूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्म के अनुसार आवंटिती द्वारा पूर्ण-स्वामित्व अधिकार विलेख (Free Hold Document) / दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर आवंटिती को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से प्रकोष्ठ-स्वामित्व विलेख का पंजीकरण कराना होगा। आवंटिती अभिलेख के पंजीकरण से संबंध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर उक्त विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।

चार.

आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास तथा भवन निर्माण विनियम

(Development and Building Regulations for Allotted Properties)

- आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में नामोदिष्ट उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
- आवंटिती सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।
- (अ) कब्जा प्राप्ति के पश्चात् आवंटित प्रकोष्ठ के संधारण का उत्तरदायित्व आवंटिती का होगा।
(ब) प्रथम आवंटन से 02 वर्षों पश्चात् परिसर के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुधार की व्यवस्था आवंटिती स्वयं पंजीकृत संस्थाओं के द्वारा करेगा। इन्दौर विकास पाधिकारी, इन्दौर इसका उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा।

पांच –

आवंटन का अन्तरण (Transfer of Allotment)

सम्पत्ति के आवंटन का अन्तरण सम्पत्ति आवंटन तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ही किया जा सकता है। आरक्षित श्रेणी के अधीन आवंटित की गई सम्पत्तियों के बारे में, अन्तरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अन्तर्गत इसे धारित करने की पात्रता रखता हो जिस हेतु सम्पत्ति को पूर्व में आवंटित किया गया हो।

छह –

अन्य निबन्धन तथा शर्तें (Other Terms and Conditions)

- यदि लॉटरी से संबंधित निबन्धन तथा शर्तों में तथा “मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम, 2013” के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उद्भूत होती है तो अन्तिम उल्लिखित उपबन्ध अभिभावी रहगे और आवंटिती पर बाध्यकारी होंगे।
- यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का विशुद्धीकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां व्ययन हेतु सम्पत्ति के प्रस्तुतकर्ता/ सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये इन शर्तों के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्ते भी बाध्यकारी होंगी।
- निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
- जहां कहीं शब्द “प्राधिकरण (Authority)” का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती (Permitted assignees) भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द “आवंटिती” का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

सात – विशेष शर्तें (Special Conditions)

- विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। आवेदन प्रस्तुतकर्ताओं को समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वेबसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी आवेदन दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में है। यदि आवेदन प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से आवेदन प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा।
- आवेदनदाता द्वारा यदि फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया पाया गया तो संपूर्ण जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत –
 - मेरे परिवार की समस्त रूप से कुल प्रमाणित वार्षिक आय रु. 3.00 लाख से 6.00 लाख के मध्य है।
 - आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति मेरे द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गई है।
 - भारत में मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में कोई पक्का आवासीय भवन नहीं है।

दिनांक

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(शपथ-पत्र रु. 100/- मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांकों पर सम्यक रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ-पत्र (Affidavit)

प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों)(assets) के लिए विहित

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता / करती हूं कि :

मेरा नाम :

पिता/पति का नाम :

पता :

व्यवसाय :

आयु :

वार्षिक आय :

2. यह कि आवेदन के अन्तर्गत दी गई समस्त जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
3. यह कि मैंने निबंधन एवं शर्तें जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नियम सम्मिलित हैं, भली भांति समझ लिया है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार हैं।
4. यह कि आवेदन के अन्तर्गत कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्राधिकरण को मेरा आवेदन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. यह कि प्राधिकरण द्वारा मुझे नियत दर पर अथवा किसी विशेष योजना में, किसी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत, जिसके लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई सम्पत्ति पूर्व में आबंटित नहीं की गई है।
6. यह कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत मैं निम्नानुसार घोषणा करता हूं –
- अप. मेरे परिवार की समस्त रूप से कुल प्रमाणित वार्षिक आय रु. 3.00 लाख से 6.00 लाख के मध्य है।
- ब. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति मेरे द्वारा आवेदन के साथ सलग्न प्रस्तुत की जा रही है।
- स. भारत में मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में कोई पक्का आवासीय भवन नहीं है।
7. यह कि यह शपथ-पत्र इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 136 के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला भवन “गुलमोहर काम्पलेक्स” में नियत दर से पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी प्रणाली द्वारा प्रकोष्ठ क्रय हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

अभिसाक्षी

॥ सत्यापन ॥

मैं, पिता/पति श्री सत्यापित करता हूँ/करती हूँ मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांक ----- को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

1. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ—पत्र में शामिल न करें।
2. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ—पत्र मान्य नहीं होगा।

योजना क्रमांक 136 में 221 (1-BHK) प्रकोष्ठों की सूची							प्रारूप - "क"		
अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्रमांक	उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.)		आरक्षित वर्ग	लीज-होल्ड / फ्री-होल्ड पर व्ययन	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य	दो वर्ष की संधारण राशी	
			बिल्टअप	सुपर-बिल्टअप			(लाख रु.)	(लाख रु.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सामान्य							
1	A-333	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
2	A-335	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
3	A-406	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
4	A-409	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
5	A-410	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
6	A-411	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
7	A-415	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
8	A-416	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
9	A-420	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
10	A-422	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
11	A-423	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
12	A-425	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
13	A-427	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
14	A-430	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
15	A-431	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
16	A-434	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
17	A-435	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
18	A-436	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
19	A-502	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
20	A-503	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
21	A-506	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
22	A-508	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
23	A-512	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
24	A-513	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
25	A-516	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
26	A-517	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
27	A-518	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
28	A-519	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
29	A-523	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
30	A-524	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
31	A-525	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
32	A-526	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
33	A-527	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
34	A-529	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
35	A-532	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
36	A-534	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
37	A-537	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
38	A-538	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
39	A-602	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
40	A-604	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
41	A-605	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
42	A-609	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40

अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्रमांक	उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.)		आरक्षित वर्ग	लीज—होल्ड /फ्री—होल्ड पर व्ययन	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य	दो वर्ष की संधारण राशी	अमानत राशी (अर्नेस्ट मनी)
			बिल्टअप	सुपर—बिल्टअप					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	B-319	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य महिला	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
88	B-417	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य महिला	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
89	B-420	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य महिला	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
90	B-611	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य महिला	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
प्राधिकरण कर्मचारी									
91	A-211	आवासीय	45.68	61.57	प्राधि. कर्मचारी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
92	A-308	आवासीय	45.68	61.57	प्राधि. कर्मचारी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
93	A-405	आवासीय	45.68	61.57	प्राधि. कर्मचारी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
94	A-438	आवासीय	45.68	61.57	प्राधि. कर्मचारी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
95	B-114	आवासीय	45.68	61.57	प्राधि. कर्मचारी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
96	B-309	आवासीय	45.68	61.57	प्राधि. कर्मचारी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
97	B-503	आवासीय	45.68	61.57	प्राधि. कर्मचारी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
सैनिक+भूतपूर्व सैनिक									
98	A-319	आवासीय	45.68	61.57	सैनिक/भू पूसै.	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
99	A-426	आवासीय	45.68	61.57	सैनिक/भू पूसै.	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
100	A-533	आवासीय	45.68	61.57	सैनिक/भू पूसै.	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
101	B-110	आवासीय	45.68	61.57	सैनिक/भू पूसै.	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
102	B-315	आवासीय	45.68	61.57	सैनिक/भू पूसै.	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
103	B-520	आवासीय	45.68	61.57	सैनिक/भू पूसै.	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
दिव्यांग									
104	A-102	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
105	A-103	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
106	A-104	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
107	A-105	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
108	A-109	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
109	A-110	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
110	A-113	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
111	A-114	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
112	A-117	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
113	A-118	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
114	A-119	आवासीय	45.68	61.57	दिव्यांग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी									
115	A-220	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
116	A-225	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
117	A-230	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
118	A-414	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
119	A-419	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
120	A-603	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
121	A-608	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
122	A-613	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
123	B-218	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
124	B-303	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
125	B-308	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
126	B-608	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
127	B-613	आवासीय	45.68	61.57	स्व.सं.सेनानी	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40

अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्रमांक	उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.)		आरक्षित वर्ग	लीज—होल्ड /फ्री—होल्ड पर व्ययन	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य	दो वर्ष की संधारण राशी	अमानत राशी (अर्नेस्ट मनी)
			बिल्टअप	सुपर—बिल्टअप					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पिछड़ा वर्ग									
128	A-322	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
129	A-404	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
130	A-424	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
131	A-429	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
132	A-511	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
133	A-531	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
134	A-536	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
135	A-618	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
136	B-313	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
137	B-418	आवासीय	45.68	61.57	पिछड़ा वर्ग	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
पत्रकार / कलाकार									
138	A-216	आवासीय	45.68	61.57	पत्रकार / कलाकार	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
139	A-309	आवासीय	45.68	61.57	पत्रकार / कलाकार	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
140	A-432	आवासीय	45.68	61.57	पत्रकार / कलाकार	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
141	A-501	आवासीय	45.68	61.57	पत्रकार / कलाकार	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
142	A-507	आवासीय	45.68	61.57	पत्रकार / कलाकार	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
143	A-528	आवासीय	45.68	61.57	पत्रकार / कलाकार	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
144	A-615	आवासीय	45.68	61.57	पत्रकार / कलाकार	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
145	B-310	आवासीय	45.68	61.57	पत्रकार / कलाकार	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
146	B-504	आवासीय	45.68	61.57	पत्रकार / कलाकार	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
अनुसूचित जाती									
147	A-213	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
148	A-238	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
149	A-310	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
150	A-315	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
151	A-402	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
152	A-407	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
153	A-412	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
154	A-417	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
155	A-437	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
156	A-504	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
157	A-509	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
158	A-514	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
159	A-601	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
160	A-606	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
161	A-611	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
162	A-616	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
163	B-106	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
164	B-111	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
165	B-306	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
166	B-311	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
167	B-501	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40
168	B-506	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जाती	फ्री—होल्ड	13.76	0.38	1.40

अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्रमांक	उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.)		आरक्षित वर्ग	लीज-होल्ड /फ्री-होल्ड पर व्ययन	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य	दो वर्ष की संधारण राशी	अमानत राशी (अर्नेस्ट मनी)
			बिल्टअप	सुपर-बिल्टअप			(लाख रु.)	(लाख रु.)	(लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	B-402	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जन जाती	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
214	B-407	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जन जाती	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
215	B-412	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जन जाती	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
216	B-502	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जन जाती	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
217	B-507	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जन जाती	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
218	B-602	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जन जाती	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
219	B-607	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जन जाती	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
220	B-612	आवासीय	45.68	61.57	अनु.जन जाती	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40
अनुसूचित जन-जाती महिला									
221	B-517	आवासीय	45.68	61.57	अनु.ज.जा. महिला	फ्री-होल्ड	13.76	0.38	1.40